न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस अपील

संख्या– एल आर ए/110/2014

उनवान

1. बरदूगर पिता सूरजगर गुसाई निवासी लसाडिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 36/2012 निर्णय दिनांक 29.5.2014

अभिभाषक : 1. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 14.11.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम विपक्षी/आवंटी को ग्राम लसाडिया की आराजी नम्बर 2080 में रकबा 0.06 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2081 में 0.10 हेक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 0.16 हेक्टेयर भूमि प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 में आवंटन हुई थी। मौके पर आवंटित भूमि में वर्तमान में मौके पर पत्थर की खान है एवं मौके पर पत्थर मौजूद हैं। वर्तमान में उक्त आराजी पर पत्थर होने से कृषि कार्य किया जाना संभव नहीं है। आवंटी को आवंटित भूमि कृषि योग्य नहीं होने से आवंटन निरस्त कराया जावे। अधीनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी/विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि आवंटित आराजी में कोई पत्थर की खान नहीं है। दोनों ही आराजी पर अपीलार्थी द्वारा काश्त की जा रही है तथा पूर्व में भी काश्त की जाती रही है।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आवंटन के समय पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गई थी। उस समय उसके द्वारा आवंटित भूमि पर किसी तरह की पत्थर की खान होने का अंकन नहीं किया । इसके विपरीत पटवारी हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 12.4.2012 को आधार मानकर अपीलार्थी को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया । जबकि पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट पर न तो अपीलार्थी के हस्ताक्षर है एवं न ही किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर है। पटवारी हल्का ने रंजिशवश गलत रिपोर्ट तैयार की है। जिसे आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। अपीलार्थी के विरूद्ध जो 91 की कार्यवाही की गई थी उसमें भी वादग्रस्त भूमि की किस्म में पत्थर की खान होने का अंकन नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त रहा है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

6. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है । इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई जिन्स गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता हो कि अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि पर कभी काश्त की हो । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी का अपीलार्थी ने अपने पक्ष में आवंटन होने का कथन करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। परन्तु इसकी ताईद में अपीलार्थी ने कोई जिन्स गिरदावरी की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। जिससे वादग्रस्त आराजियात पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त साबित हो। इसके विपरीत पटवारी हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 12.4.2012 में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ग्राम लसाडिया की आराजी नम्बर 2080 में रकबा 0.06 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2081 में 0.10 हेक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 0.16 हेक्टेयर भूमि पर पत्थर की खान होना अंकित किया गया है। दोनों ही आराजी पर मौके पर पत्थर मौजूद होने का भी अंकन किया है । पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट तैयार की है वह गलत कैसे बनाई है इसका कोई समुचित कारण अपीलार्थी ने नहीं दर्शाया है। यह रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पत्र दिनांक 6.1.2011 जो कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार शाहपुरा को लिखा गया है जिसमें उल्लेखित है कि आवंटन सलाहकार समिति की मीटिंग में आवंटनशुदा भूमि में सुपुर्दगी नामा अथवा नियमानुकूल आवंटन न होने पर आवंटन निरस्तीकरण के प्रस्ताव भिजवाएं। इस पत्र के उपरान्त पटवारी रिपोर्ट भिजवाई गई है। अपीलार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी द्वारा आवंटन के उपरान्त काश्त किया जाना प्रमाणित होता हो। चूंकि वादग्रस्त भूमि का अपीलार्थी को काश्त करने की शर्त पर ही आवंटन किया गया था परन्तु अपीलार्थी ने आवंटन के पश्चात काश्त नहीं की है। मौके पर भूमि का उपयोग काश्त के लिए नहीं किया जाकर मौके पर पत्थर की खान होना पटवारी हल्का की रिपोर्ट से प्रमाणित होता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक से पूर्व कोई मौका रिपोर्ट नही ली गई है न ही आवंटन का प्रारूप पत्र भरा गया है। जल्दबाजी में आवंटन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.5.2014 को यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

14/11/17

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा